

3.3.22

पत्रावली पेश हुई। बादी व बारी वकील  
कोई उपस्थित नहीं आए। बादी व बादी  
अधिकतम को -आयालय समय तक  
बार 2 आवाज लगावारी गरी फिलहाल  
अनुपस्थित रहे तथा बादी प्रतिवादी  
की तलबी सुनारी गरी 2

अतः पत्रावली अहम हाजरी, अहम पहरबी  
एवं अन्तर्गत आदेश 05 नियम 05 के  
तहत खारिज की जाती है। पत्रावली  
केवल सुमार होकर नम्बर से कम होकर  
शाखिल रूपत हो। निर्णय लिखा जाऊ  
एवले -आयालय में सुनाया गया।

